कार्यालय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल

क्रमांक/ [illegible] 10 10/४९९ भोपाल : दिनांक २०/५/०६

प्रति,

समस्त वन संरक्षक एवं

वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

विषय :- अग्नि सुरक्षा हेतु धनराशि की मांग का पत्रक ।

अग्नि सुरक्षा हेतु वन मण्डलों द्वारा ईकजाई मांग की जा रही है जो उनके द्वारा तैयार की गई अग्नि सुरक्षा योजना अनुसार होती है। इस योजना की स्वीकृति वन संरक्षक द्वारा दी जाती है।

चूंकि अग्नि सुरक्षा मद में सीमित राशि प्राप्त होती है। अतः समस्त वन मण्डलों को उनकी आवश्यकता अनुरूप पूर्ण राशि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होता है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि अग्नि सुरक्षा हेतु धनराशि की मांग करने के लिये निम्न प्रपत्र अनुसार जानकारी प्रेषित की जावे ताकि धनराशि का आवंटन वन मंडलों की प्राथमिकताओं अनुसार किया जा सके।

प्रपत्र

अः लाईन कटाई एवं जलाई हेतु (15 नवम्बर से 15 फरवरी)

क्र.	लाईन का नाम	लम्बाई	दर	राशि
1	फायर लाईन (कार्य आयोजना अनुसार)			
2	जिला लाईन (कार्य आयोजना अनुसार) (विस्तृत विवरण पृथक से एक्शन प्लान में दें)			
3	मुख्य मार्ग (विस्तृत विवरण पृथक से एक्शन प्लान में दें)			
	योग–			

ब: फायर वाचर हेतु (15 फरवरी से 15 जून तक)

कार्य	अवधि	फायर वाचर की प्रतिपादित आवश्यकता	दर (मासिक)	राशि
फायर वाचिंग	15 फरवरी से 28 फरवरी			
फायर वाचिंग	1 मार्च से 15 जून तक			

फायर वाचर की आवश्यकता की गणना का आधार दें।

प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जावे–

- यह ध्यान रखें कि बन्द कूपों हेतु धन राशि विकास तथा उत्पादन शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती है इसलिए इस हेतु मांग न की जावें।
- सघन वनों में अग्नि सुरक्षा कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे। वह बड़े–बड़े क्षेत्र जो वन विहीन हैं, जहां मात्र पत्थर चट्टान नगें पहाड़ व Blanks हैं ऐसे क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं किए जावें।
- जिला लाईन , लाईन के बीचों बीच से आधी एक जिले के वनमण्डल द्वारा तथा आधी दूसरे जिले के वनमण्डल द्वारा काटी व जलाई जावेगी।
- चूंकि मार्च के महीने में फायर वाचर द्वारा किए गए कार्य का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल में होगा अतः मांग पत्रक में माह मार्च से 15 जून तक राशि अगले वित्तीय वर्ष में मांगी जावेगी जबकि 15 फरवरी से 28 फरवरी तक फायर वाचरों हेतु धनराशि की मांग प्रथम वर्ष में की जावे।
- अग्नि रेखाओं की कटाई एवं जलाई वन विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में कराई जावेगी। यह कार्य जॉब दरों पर यदि समिति करना चाहे तो समिति अथवा संबंधित वन रक्षक द्वारा सम्पादित किया जावेगा। यह सम्बन्धित परिक्षेत्र अधिकारी का दायित्व होगा कि निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करावें। चाहे समिति कार्य करें चाहे विभाग, पर कार्य सम्बन्धित वन रक्षक की देख रेख में तथा संबंधित परिक्षेत्र सहायक के पर्यवेक्षण में होगा और यह उनका उत्तरदायित्व होगा। । यदि समिति कार्य करती है तो कार्य पूर्ण उपरांत समिति

को एक मुश्त धनराशि उसके बैंक में उपलब्ध कराई जावेगी। यदि कार्य निर्माण कराता है तो विभागीय प्रणाली अनुसार कार्य पर लगाए गए मजदूरों को भुगतान परिक्षेत्र सहायक/ परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

फायर वाचर समिति रखना चाहे तो समिति अथवा परिक्षेत्र सहायक/ परिक्षेत्र अधिकारी सीधे रखेगें। फायर वाचर को भुगतान जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित भुगतान दैनिक वेतन/ माहवार वेतन अनुसार किया जावेगा। यदि समिति फायर वाचर रखती है तो भुगतान ऊपर वर्णन अनुसार समिति को होगा अन्यथा फायर वाचरों को सीधे विभाग द्वारा किया जावेगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश